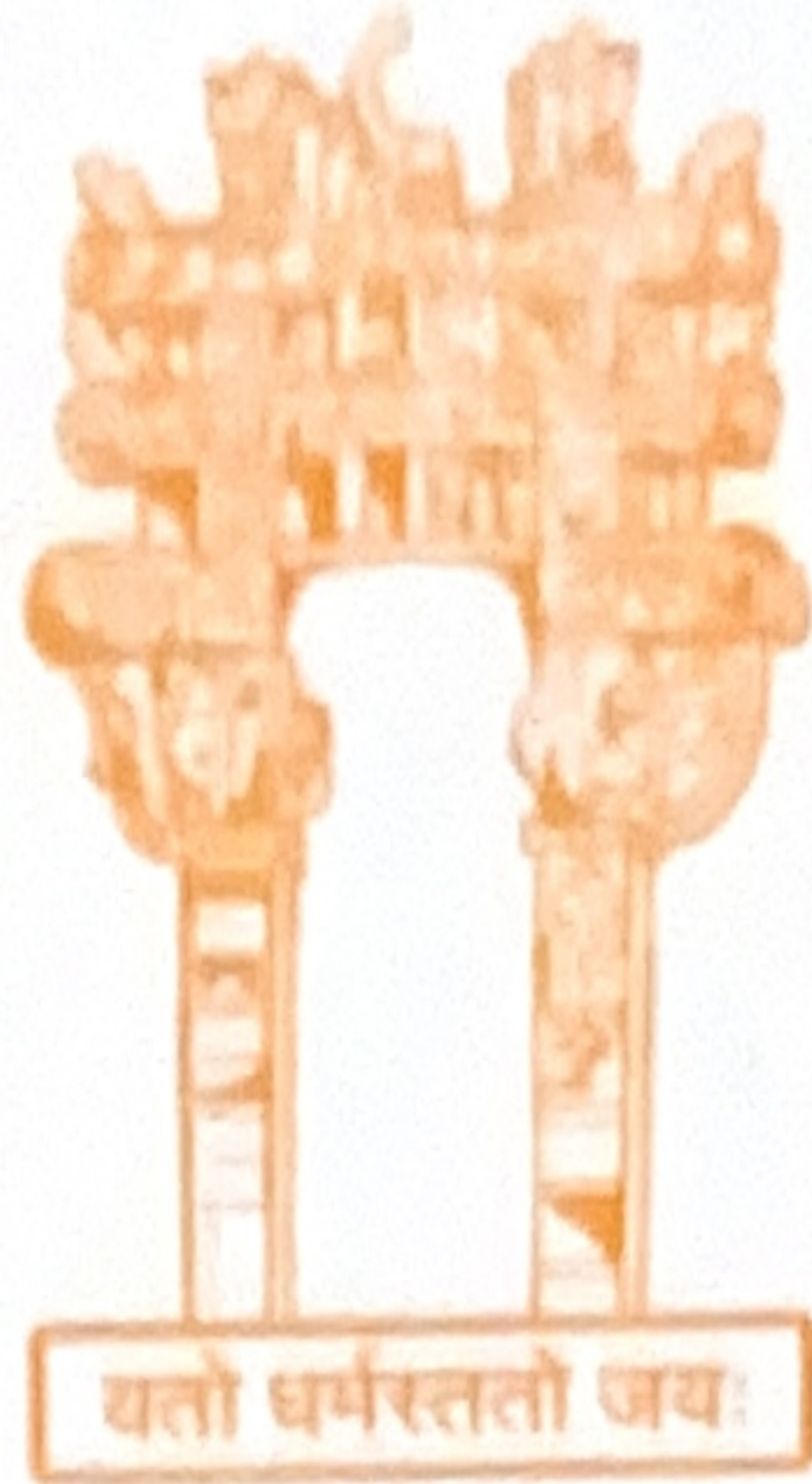


मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद्



प्रमाण-पत्र



मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद्, एतद् द्वारा प्रमाणित करती है कि
श्री दिव्यांश जैन पिता श्री संगम जैन

स्थान ग्वालियर को एडवोकेट के रूप में
स्वीकृत कर एडवोकेट्स एक्ट १९६१ (अधिनियम क्रमांक २५ सन् १९६१)
की धारा १७ के आधीन उनका नाम म.प्र. राज्य अधिवक्ता परिषद् की
एडवोकेट सूची के क्रमांक म.प्र./ 2221/2019 /नामां.दि. 14/09/19
पर अंकित किया गया है।

आज मिति 15 भाद्रपद शु. वि. संवत् 2076 तदानुसार
दिनांक 14/09/19 को म.प्र. राज्य अधिवक्ता परिषद् के
आदेशानुसार मेरे हस्ताक्षराधीन प्रदत्त।



शिवेंद्र उपाध्याय

अध्यक्ष
म.प्र. राज्य अधिवक्ता परिषद्